

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामसहाय

बनाम

जगदीश सिंह वगै०

नं० :-113/2022

| नांक आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------------------|--|-------------|
| 05.2024 | <p>पत्रावली आज कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। कोर्ट कैम्प की सूचना अधिवक्ता संघ को पूर्व में दी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनु०। अप्रार्थीगणों को वार-वार आवाज लगवाई गई। पत्रावली में अप्रार्थीगणों को पूर्व में जरिये रजि० ए०डी० से तलबी की गई। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/327 दिनांक 24.04.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम हुरेला, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 0.8500है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> | |

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ